

# कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

दूरभाष एवं फेक्स:- (07562) 224706

ई-मेल:- heggcseh@mp.gov.in

वेब :- www.mp.gov.in/highereducation/gdcsehore

क्रमांक ..... 917 /निविदा /पुस्त./20

सीहोर दि. 02/12/2020

## पुस्तकें क्रय हेतु निविदा विज्ञप्ति 2020-21

इस महाविद्यालय के पुस्तकालय हेतु पुस्तकें क्रय किया जाना है पुस्तक विक्रेता निविदा विज्ञप्ति अपलोड होने के 15 दिन के अंदर अपने भावपत्र केवल निम्न बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए सीलबंद लिफाफे में भेजें। सीलबंद लिफाफे पर पुस्तकें क्रय हेतु निविदा तथा निविदा भेजने की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य है। फर्म का नाम एवं पता

फोन नं. .... ई- मेल.....

क्र.	पुस्तकों का प्रकार	छूट की दर
1	वार्षिक / सेमेस्टर सिस्टम की पुस्तकें	
2	विभिन्न विषयों की हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें	
	A.पेपर ब्रेक पुस्तकें	
	B- हार्ड वाउंड पुस्तकें	
3	उपन्यास—हिंदी, अंग्रेजी,	
4	स्व—प्रकाशन ( स्वयं के प्रकाशन की सूची संलग्न करना अनिवार्य है )	
5	शासकीय प्रकाशन एवं शासकीय विषयों से संबंधित पुस्तकें	
6	संदर्भ ग्रन्थ	
7	ई—पुस्तकें	
8	पैकिंग फॉरवर्डिंग चार्जस	
9	सेल्स टेक्स(जी.एस.टी.) इत्यादि, यदि कोई देय हो।	
10	अवधि जिसमें आप क्रयादेश की पूर्ति कर सकें।	
11	अन्य कोई शर्त हो तो स्पष्ट की जाए	

शर्तः—

- आपके भावपत्र 30 जून 2021 तक वैध रहेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा भरने वाले पुस्तक विक्रेताओं को दी गई समय सीमा के अंदर निर्धारित दरों एवं सूची के अनुसार आदेश की पूर्ति करनी होगी। अन्यथा आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- पुस्तके नवीन संस्करण एवं प्रिंट रेट पर मान्य की जावेगी। स्टीकर लगे मूल्य मान्य नहीं किये जायेंगे।
- शासन द्वारा पुस्तक क्रय पर प्रतिबंध लगने भुगतान पर रोक आदि के कारण शासकीय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- लिफाफे के ऊपर पुस्तक निविदा 2020-21 अवश्य लिखे।
- निविदा में आपकी फर्म/दुकान का पता, भौगोलिक स्थिति, टेलीफोन नं., फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. एवं पेन नं., बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता क्र., आई.एफ.एस.सी.कोड एवं जी.एस.टी. नं., अवश्य अंकित होना चाहिये।
- दिये गये प्रपत्र में ही भाव पत्र मान्य होंगे।
- पुस्तकों के क्रय संबंधी अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होंगे कोई भी विवाद होने पर प्राचार्य का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। समस्त प्रकरणों में न्याय क्षेत्र सीहोर होगा।
- एफ.ओ.आर. महाविद्यालय परिसर होगा।

ग्रंथालय प्रभारी

Mrs  
2-12-2020

5 Jan 2021  
02-12-20  
Principal  
Govt. Girls College  
SEKORE (M.P.)